Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

सितम्बर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- आदर्श सौर गाँव 3
- UP में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा 4
- गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन 5
- गोविंद बल्लभ पंत 5
- UP का लक्ष्य सुरक्षित डेटा भंडारण में निवेश करना 6
- NIA न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई 7
- अटल आवासीय विद्यालय 8
- बुलडोज़र न्याय 9
- गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार पहुँचा 10
- आर्थिक प्रक्षेप पथ 11
- मदरसों की शिक्षा 13
- सरयू नदी में बाढ़ 14
- 13 राज्यों से 97% अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार 15
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग किया 16
- खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक 17
- उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर सुविधा 18
- उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी 19

नोट :

उत्तर प्रदेश

आदर्श सौर गाँव

चर्चा में क्यों?

अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गाँव को एक **आदर्श सौर गाँव** के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य **50,000 सौर घर** स्थापित करना है।

मुख्य बिंदु:

- **प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना** का उद्देश्य **50,000 घरों को सौर पैनलों** से **सुसज्जित** करके **अयोध्या को सौर शहर** में बदलना है।
  - **आदर्श सौर गाँव** योजना के तहत **5,000 निवासियों वाले 42 गाँवों** में से एक गाँव का चयन किया जाएगा, ताकि सौर पैनलों की व्यापक स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रत्येक परिवार को **एक किलोवाट सौर पैनल** के लिये **65,000 रुपए** की लागत आएगी, जिसमें से **30,000 रुपए** केंद्र सरकार और **15,000 रुपए** राज्य सरकार द्वारा अनुदानित किये जाएंगे।
- सौर पंप लगाने वाले किसानों को **कुसुम योजना** के तहत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- केंद्र सरकार ने **प्रत्येक आदर्श सौर गाँव के लिये 1 करोड़ रुपए आवंटित** किये हैं, जो विकास के लिये गाँव पंचायत को हस्तांतरित किये जाएंगे।

पीएम-कुसुम क्या है?

- **परिचय:**
  - **पीएम-कुसुम** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर **कृषि क्षेत्र** में बदलाव लाना है।
  - यह मांग-आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
  - विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से, **पीएम-कुसुम** का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक **30.8 गीगावाट** की महत्त्वपूर्ण **सौर ऊर्जा क्षमता** वृद्धि हासिल करना है।
- **पीएम-कुसुम के उद्देश्य:**
  - **कृषि क्षेत्र की डीज़ल पर निर्भरता कम करना:** इस योजना का उद्देश्य **सौर ऊर्जा चालित पंपों** और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई के लिये डीज़ल पर निर्भरता को कम करना है।
    - इसका उद्देश्य सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है।
  - **किसानों के लिये जल और ऊर्जा सुरक्षा:** सौर पंपों तक पहुँच प्रदान करके तथा सौर-आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
  - **पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना: स्वच्छ एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा** को अपनाकर, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।
- **घटक:**
  - **घटक-A:** किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली/कृषि योग्य भूमि पर **10,000 मेगावाट** के विकेंद्रीकृत भूमि/स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

नोट :

- **घटक-B:** ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में **20 लाख एकल सौर पंपों** की स्थापना।
- **घटक-C:** व्यक्तिगत पंप सौरीकरण और फीडर स्तर सौरीकरण के माध्यम से 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

UP में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी ढाँचे और प्रचार को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश सरकार सभी राज्य आयुक्तालयों में **18 नए फुटबॉल स्टेडियम** बनाएगी।
- अधिक से अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिये **राज्य के सभी 827 ब्लॉकों** में फुटबॉल मैदान विकसित किये जाएंगे।
- **कोलकाता डर्बी** की मेज़बानी के लिये **लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम** को 19 दिनों में पुनर्निर्मित किया गया।
  - **कोलकाता डर्बी** भारत की दो सबसे लोकप्रिय टीमों **ईस्ट बंगाल और मोहन बागान** के बीच एक फुटबॉल मैच है। इन दोनों क्लबों के बीच प्रतिद्वंद्विता **100 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी** है तथा इसे विश्व की सबसे बड़ी स्थानीय खेल प्रतिद्वंद्विता में से एक माना जाता है। डर्बी अपने **ज़बरदस्त एक्शन और जोशीले प्रशंसकों** के लिये जानी जाती है।
- उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया पहल के साथ जुड़ गया है, जिससे राज्य में खेलों के विकास के लिये सरकारी समर्थन सुनिश्चित हो रहा है।

खेलो इंडिया पहल

- खेलो इंडिया एक ऐसी योजना है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017-18 में की थी, जिसका उद्देश्य **ज़मीनी स्तर के एथलीटों** को एक मंच प्रदान करना और पूरे भारत में खेल के **बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है,** जिसके परिणामस्वरूप भारत एक खेल राष्ट्र बन जाएगा।
- खेलो इंडिया योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की प्रमुख **केंद्रीय क्षेत्र योजना** है।

गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उपराष्ट्रपति** ने **गोरखपुर सैनिक स्कूल** का उद्घाटन किया, इसकी सुविधाओं की प्रशंसा की और **पूर्वी उत्तर प्रदेश** में शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु

- **गोरखपुर सैनिक स्कूल विवरण:**
  - पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल।
  - **उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी** द्वारा प्रबंधित दूसरा सैनिक स्कूल।
  - उत्तर प्रदेश में 5वाँ सैनिक स्कूल; अन्य **झाँसी**, **अमेठी**, **मैनपुरी** (रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित) और **लखनऊ** (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित) में हैं।
- उपराष्ट्रपति ने **गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर** का भी दौरा किया।
  - गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख संत गुरु गोरक्षनाथ को समर्पित है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - मंदिर में एक प्रमुख **केंद्रीय गुंबद और विस्तृत अंदरूनी भाग** के साथ पारंपरिक **हिंदू स्थापत्य** तत्त्व हैं।

सैनिक स्कूल

- सैनिक स्कूल आवासीय संस्थान हैं जो पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं और **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)**, नई दिल्ली से संबद्ध हैं।
- **वित्तपोषण:** इन स्कूलों को **केंद्र और राज्य सरकारों** दोनों से वित्तीय सहायता मिलती है।
- **स्थापना: वर्ष1961** में प्रारंभ किये गए सैनिक स्कूलों को **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी** में प्रवेश के लिये छात्रों को शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- **शासन:** इनका प्रबंधन **रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसायटी** द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860** के तहत की गई थी।

गोविंद बल्लभ पंत

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री **गोविंद बल्लभ पंत** की 137वीं जयंती पर उन्हें देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और एक ऐसे प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य बिंदु

- **संक्षिप्त परिचय:**
  - गोविंद बल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और एक ऐसे प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नोट :

- वह **संयुक्त प्रांत के प्रीमियर (वर्ष 1937-1939), उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री (1946-1954) और केंद्रीय गृह मंत्री (वर्ष 1955-1961)** थे तथा उन्हें वर्ष 1957 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया था।

- **प्रारंभिक जीवन:**
  - पंत का जन्म 10 सितंबर, 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था।
  - जब वे 18 वर्ष के थे, तब उन्होंने **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस** के अधिवेशनों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था, वे **गोपालकृष्ण गोखले** और **मदन मोहन मालवीय** को अपना आदर्श मानते थे।
  - वर्ष 1907 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय किया, अपनी डिग्री प्राप्त करने पश्चात, उन्होंने वर्ष 1910 में अल्मोड़ा में वकालत शुरू की और अंतत: काशीपुर चले गए।
  - काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसने कई सुधारों की दिशा में कार्य करना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद होने से भी बचाया।

- **राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान:**
  - गोविंद बल्लभ पंत दिसंबर 1921 में कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही **असहयोग आंदोलन** में शामिल हो गए।
  - वर्ष 1930 में गांधीजी के पूर्व कार्यों से प्रेरित होकर **नमक मार्च** आयोजित करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया।
  - वह नैनीताल से स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था) विधान सभा के लिये चुने गए।
    - उन्होंने **ज़मींदारी प्रथा** को समाप्त करने हेतु सुधार लाने का प्रयास किया।
    - उन्होंने किसानों पर कृषि कर कम करने के लिये सरकार से अनुरोध भी किया।
    - उन्होंने देश में कई कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कुली-भिखारी कानून के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसके तहत कुलियों को बिना किसी भुगतान के ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिये मजबूर किया जाता था।
    - पंत हमेशा अल्पसंख्यकों के लिये अलग निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे, उनका कहना था कि यह कदम समुदायों को और विभाजित करेगा।
  - **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान, पंत ने **गांधीजी के गुट**, जो युद्ध में ब्रिटिश राज को समर्थन देने की वकालत करता था और **सुभाष चंद्र बोस के गुट**, जो किसी भी तरह से ब्रिटिश राज को बाहर निकालने के लिये स्थिति का लाभ उठाने की वकालत करता था, के बीच समझौता कराने का प्रयास किया।
  - वर्ष 1942 में **भारत छोड़ो प्रस्ताव** पर हस्ताक्षर करने के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, इस बार और मार्च 1945 तक उन्होंने कॉन्ग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में तीन वर्ष व्यतीत किये।
    - पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत की रिहाई के लिये सफलतापूर्वक अनुरोध किया।

- **स्वतंत्रता के बाद**
  - स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये कार्य किया।
  - **सरदार पटेल** की मृत्यु के बाद गोविंद बल्लभ पंत को केंद्र सरकार में गृहमंत्री बनाया गया।
  - गृहमंत्री के रूप में उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिये समर्थन किया।

UP का लक्ष्य सुरक्षित डेटा भंडारण में निवेश करना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **डेटा सेंटर** स्थापित करके सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिये 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु

- **निवेश लक्ष्य: उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए** के कुल निवेश के साथ 8 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिये निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करना है।
  - डेटा सेंटर की संयुक्त क्षमता **900 मेगावाट होगी** और यह नोएडा के पास स्थित होगा।
  - हीरानंदानी समूह, अडानी समूह, एनटीटी जापान तथा वेब वर्क्स जैसी कंपनियों ने **600 मेगावाट** क्षमता जोड़ने के लिये 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू की हैं या उनकी घोषणा की है।
  - राज्य ने डेटा केंद्रों को निर्बाध आपूर्ति हेतु **दो ग्रिडों से विद्युत लेने की अनुमति दे दी है।**
    - उत्तर प्रदेश की संशोधित डाटा सेंटर नीति अब अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये 8 डाटा सेंटर पार्कों तक दोहरी ग्रिड आपूर्ति का विस्तार करती है।
- **महत्त्व**
  - डेटा केंद्र सूचना के भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण के लिये **IT गतिविधियों को केंद्रीकृत करते हैं।**
    - वर्ष 2023 में भारत के शीर्ष 7 शहरों में कोलोकेशन डेटा सेंटर की क्षमता **977 मेगावाट थी, जिसमें** तेज़ी से डिजिटल अपनाने के कारण वर्ष 2028 तक अतिरिक्त **1.7-3.6 गीगावाट की आवश्यकता होगी ।**
  - अपतटीय डेटा भंडारण से सुरक्षा जोखिम बढ़ता है तथा संवेदनशील जानकारी (बैंकिंग, सोशल मीडिया, स्वास्थ्य, आदि) साइबर हमलों के प्रति उजागर हो जाती है।
    - घरेलू डेटा केंद्र भारत के बढ़ते डिजिटल डेटा के लिये उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- **राष्ट्रीय डेटा सेंटर क्षमता**
  - वर्ष 2024-2028 के लिये भारत की निर्माणाधीन कोलोकेशन क्षमता **1.03 गीगावाट है,** जो व्यवसायों को सुरक्षित सर्वर अवसंरचना और उच्च गति नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021

- **पूंजीगत सब्सिडी:** 10 वर्ष से अधिक अवधि की इकाइयों के लिये 10 करोड़ रुपए तक 7% (भूमि और भवन को छोड़कर)।
- **ब्याज सब्सिडी:** डेटा सेंटर पार्कों हेतु 7 वर्षों के लिये 50 करोड़ रुपए तक वार्षिक ब्याज का 60%।
- **भूमि सब्सिडी:** क्षेत्रवार दरों पर 25-50%, अधिकतम 75 करोड़ रुपए।
- **स्टाम्प शुल्क पर छूट:** पहले लेन-देन पर 100%; दूसरे पर 50%।
- **विद्युत लाभ:** 10 वर्षों के लिये 100% शुल्क छूट; पहले 3 पार्कों के लिये दोहरी ग्रिड विद्युत।

NIA न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लखनऊ में एक विशेष **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) न्यायालय ने अवैध धर्मांतरण मामले** में इस्लामिक विद्वान और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

मुख्य बिंदु

- **आरोप और दोषसिद्धि:**
  - दोषियों पर **उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 121A (राज्य के विरुद्ध कुछ अपराध करने की साज़िश रचना), धारा 123 (युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के मन्तव्य से छिपाना), धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)** के तहत आरोप लगाए गए थे।
- **गिरफ्तारी और आरोप:**
  - इस्लामिक स्कॉलर को 2021 में **उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते** ने मेरठ से **अवैध धर्म परिवर्तन के लिये एक राष्ट्रव्यापी** सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

नोट :

- उन पर शत्रुता को बढ़ावा देने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्षति पहुँचाने तथा धर्मांतरण को बढ़ावा देने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।**

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- NIA भारत की **केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है**, जिसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं:
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  - परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
  - हथियारों, नशीले पदार्थों और **जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा** सीमा पार से घुसपैठ।
  - **संयुक्त राष्ट्र,** उसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों तथा प्रस्तावों को लागू करने के लिये बनाए गए वैधानिक कानूनों के अंतर्गत अपराध।
- इसका गठन **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।**
- एजेंसी को **गृह मंत्रालय की** लिखित घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना **राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।**
- **मुख्यालयः नई दिल्ली**

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

- इस कानून में धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के संबंध में कड़े प्रावधान हैं।
- **इसमें 20 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास का** प्रावधान है, अगर यह पाया गया कि धर्म परिवर्तन धमकी, शादी का वादा या साजिश के तहत किया गया है
  - विधेयक के तहत इसे सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- यह विधेयक **किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन** से संबंधित मामलों में **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज करने की अनुमति देता है, न कि केवल माता-पिता, पीड़ित या भाई-बहन को।
- इन मामलों की सुनवाई, सत्र न्यायालय से नीचे के किसी न्यायालय में नहीं होगी। विधेयक में इस अपराध को **गैर-ज़मानती भी बनाया गया है।**
  - जो कोई भी व्यक्ति विवाह के उद्देश्य से अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अटल आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **वंचित छात्रों के लिये** शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिये **अटल आवासीय विद्यालयों** के बड़े विस्तार की घोषणा की ।

मुख्य बिंदुः

- **वर्तमान में, 18 अटल आवासीय विद्यालय** हैं ।
  - यह विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, अगले शैक्षणिक सत्र में **57 ज़िलों** में स्कूलों की योजना बनाई गई है, तीसरे चरण में **350 तहसीलों** तक, चौथे चरण में **825 विकास खंडों** तक तथा पाँचवें चरण में **न्याय पंचायत** स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा।
- **स्कूल की विशेषताएँ:**
  - पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित इन विद्यालयों को **समावेशी शिक्षा के लिये एक मानक स्थापित करने** तथा **निरक्षरता** और **अभाव से निपटने** के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

- नए स्कूलों में **कक्षा 1 से 12 तक** के छात्र होंगे और इनमें **बाल वाटिकाएँ** भी शामिल होंगी ।
- स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों को सूचित रखने के लिये उनके साथ अर्द्धवार्षिक बैठकें आयोजित करें।

बाल वाटिकाएँ

- बाल वाटिका एक **प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम** है जिसका उद्देश्य **3-6 वर्ष** की आयु के बच्चों को संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकसित करने में मदद करना है
- यह कार्यक्रम **खेल-आधारित शिक्षा पर केंद्रित** है और बच्चों के लिये **समावेशी तथा स्वागतयोग्य वातावरण** बनाने के लिये तैयार किया गया है।

न्याय पंचायत

- न्याय पंचायत **भारत की पंचायती राज व्यवस्था** में एक न्यायिक प्रणाली है जो **ग्रामीण स्तर पर** विवादों का समाधान करती है। न्याय पंचायतों को भारतीय न्यायिक प्रणाली का सबसे बुनियादी स्तर माना जाता है
- न्याय पंचायतों के कुछ कार्य इस प्रकार हैं
  - **विवादों का समाधान:** न्याय पंचायतें छोटे सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करती हैं
  - **न्याय प्रदान करना:** न्याय पंचायतें शीघ्र और त्वरित न्याय प्रदान करती हैं
  - **अपराधियों को दंडित करना:** न्याय पंचायतें उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने और मामूली जुर्माना लगाने में सक्षम हैं। लेकिन वे व्यक्तियों को जेल में नहीं डालती है।
  - **लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण:** न्याय पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने में मदद करती हैं।

बुलडोज़र न्याय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India- SC) ने "बुलडोज़र न्याय "** की प्रथा की आलोचना की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **विधि के शासन** का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदु:

- "बुलडोज़र न्याय" से तात्पर्य आपराधिक गतिविधियों या दंगों में संलिप्तता के संदिग्ध व्यक्तियों की **संपत्ति को बुलडोज़र का उपयोग करके ध्वस्त करने** की प्रथा से है, जिसमें प्राय: **विधि की उचित प्रक्रिया** का पालन नहीं किया जाता है।
  - उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में इस प्रथा की सूचना मिली है।
  - अतिक्रमण या **अनधिकृत निर्माण के लिये नगरपालिका कानूनों के तहत** प्राय: ध्वस्तीकरण को उचित ठहराया जाता है ।
- यह प्रथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों जैसे- ***सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार*** तथा ***अजय माकन एवं अन्य बनाम भारत संघ*** *में उल्लिखित* **उचित प्रक्रिया आवश्यकताओं** को दरकिनार कर देती है।
  - उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस प्रथा की निंदा की है तथा इस बात पर ज़ोर दिया है कि आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **विधि के शासन** और **विधि की उचित प्रक्रिया** का उल्लंघन है
- उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी ध्वस्तीकरण पर उपयुक्त अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किये हैं
- एक विश्लेषण से पता चला है कि **प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को प्रासंगिक कानून और नियमों** में शामिल किया जाना चाहिये प्रत्येक चरण पर अनेक जाँच-पड़ताल बिंदुओं के साथ चरणबद्ध तरीके से संरचित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिकूल या अपरिवर्तनीय कार्यवाही करने से पहले **सभी आवश्यक कदम** उठाए जाएँ।

नोट :

- **विध्वंस-पूर्व चरण:**
  - **सबूत का भार:** विध्वंस और विस्थापन को उचित ठहराने के लिये सबूत का भार प्राधिकारियों पर डालना, जिससे मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  - **नोटिस और प्रचार:** भूमि अभिलेखों और पुनर्वास योजनाओं के बारे में जानकारी सहित एक तर्कपूर्ण नोटिस प्रदान करना तथा प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने के लिये पर्याप्त समय देना।
  - **स्वतंत्र समीक्षा:** सभी नियोजित ध्वस्तीकरणों, विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में, की समीक्षा न्यायिक समुदाय और नागरिक समाज के सदस्यों वाली एक निष्पक्ष समिति द्वारा की जानी चाहिये।
  - **सहभागिता और योजना:** प्रभावित पक्षों से वैकल्पिक आवास और मुआवज़े के लिये बातचीत करना तथा साथ ही कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना। नोटिस एवं विध्वंस के बीच कम-से-कम एक महीने का समय देना चाहिये।
- **विध्वंस के दौरान:**
  - **बल का न्यूनतम प्रयोग:** शारीरिक बल और बुलडोज़र जैसी भारी मशीनरी के प्रयोग से बचना।
  - **आधिकारिक उपस्थिति:** इस प्रक्रिया की निगरानी के लिये विध्वंस में शामिल न होने वाले सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
  - **निर्धारित समय:** अचानक कार्यवाही से बचने के लिये ध्वस्तीकरण का समय पहले से तय किया जाना चाहिये।
- **विध्वंस के बाद (पुनर्वास):**
  - **पुनर्वास:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी बेघर न रहे, पर्याप्त अस्थायी या स्थायी आवास समाधान प्रदान करना।
  - **शिकायत निवारण:** प्रभावित व्यक्तियों के लिये ध्वस्तीकरण निर्णयों को चुनौती देने हेतु त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  - **उपाय:** मुआवज़ा, क्षतिपूर्ति तथा मूल घरों में संभावित वापसी जैसे उपाय सुनिश्चित करना।

गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार पहुँचा

चर्चा में क्यों ?

वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, **जिससे वहाँ भीषण** बाढ़ आ गई है और क्षेत्र के **4,000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं।**

- जलस्तर 70.76 मीटर तक बढ़ गया, जो कि चेतावनी सीमा 70.26 मीटर को पार कर गया; यह 5 सेमी. प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा था।

प्रमुख बिंदु

- **निवासियों पर प्रभाव:**
  - **प्रभावित आबादी:** बाढ़ से कुल 4,461 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। ज़िले के कई निचले क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को आने-जाने के लिये नावों का प्रयोग करना पड़ रहा है।
  - **पुनर्वास:** कटाव से प्रभावित मोकलपुर के परिवारों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, 299 परिवारों के 1,601 लोग वर्तमान में इन शिविरों में रह रहे हैं।
- **राहत उपाय:**
  - **बाढ़ राहत शिविर:** ज़िला प्रशासन ने **46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किये हैं,** जिनमें से 14 वर्तमान में कार्यरत हैं।
    - **इन शिविरों में भोजन, फल, दूध** और **पीने का जल** जैसी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये चिकित्सा शिविर भी स्थापित किये गए हैं।
  - **बचाव कार्य: बचाव कार्यों के लिये** कुल **22 नावें** तैनात की गई हैं।
    - **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)** की टीमें मोटरबोटों का उपयोग करते हुए राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

गंगा नदी प्रणाली

- **गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर** से 3,892 मीटर की ऊँचाई पर भागीरथी के रूप में निकलती है।
- गंगा नदी के मुख्य स्रोत कई छोटी-छोटी धाराएँ हैं। इनमें **अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी** और **भीलंगना प्रमुख हैं।**
  - **देवप्रयाग** में जहाँ **अलकनंदा भागीरथी** से मिलती है, नदी को गंगा नाम मिलता है। यह **बंगाल की खाड़ी** में सम्मिलित होने से पहले **2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है**।
- गंगा **छह मुख्य धाराओं** और उनके **पाँच संगमों से बनती है**।
  - **नंदप्रयाग:** नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम।
  - **कर्णप्रयाग:** पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम।
  - **विष्णुप्रयाग:** धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम।
- भागीरथी, जिसे मूल धारा माना जाता है, **गंगोत्री ग्लेशियर के निचले भाग में गौमुख** से निकलती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ:
  - **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ:** यमुना, टोंस, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, चंदन, अजॉय, दामोदर, रूपनारायण।
- गंगा **नदी उत्तर प्रदेश** के **28 ज़िलों** से होकर प्रवाहित होती है, जो **बिजनौर ज़िले से होते हुए** राज्य में प्रवेश करती है। **प्रयागराज** में **त्रिवेणी संगम** पर **यमुना** में विलीन होने से पहले यह **उत्तर प्रदेश** में लगभग **1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है।**

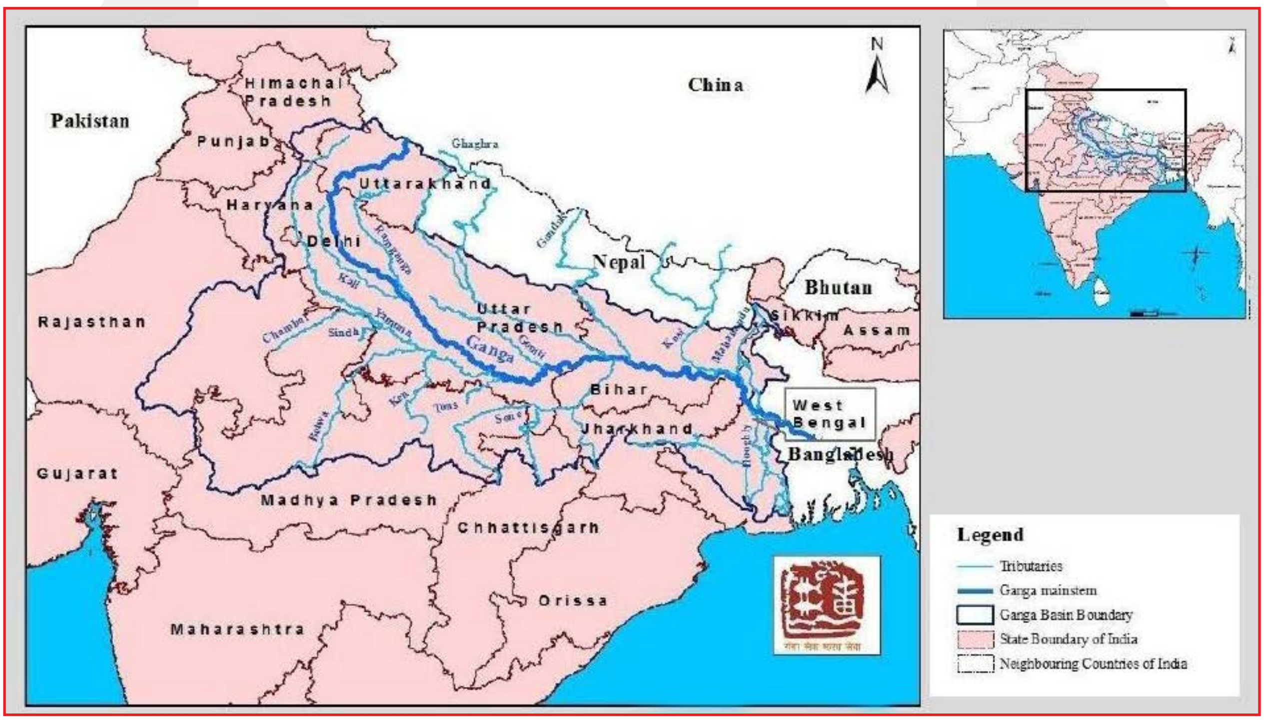

आर्थिक प्रक्षेप पथ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)** की रिपोर्ट से पता चला है कि 1960 के दशक में भारत में पाँच राज्यों का आर्थिक प्रभुत्व था।

प्रमुख बिंदु

- 1960 के दशक में, पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार का भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में लगभग 54% योगदान था।
- **उत्तर प्रदेश (तब अविभाजित**) इन राज्यों में सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्त्ता था, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में **14.4% का योगदान देता था** ।
- **उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था:**
  - **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि:**
    - वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की **स्थिर मूल्यों पर (GSDP)** 8.3% बढ़ी, जो वर्ष 2021-22 में 10.2% थी।
    - वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 7.2% बढ़ने का अनुमान था।
  - क्षेत्रीय विकास:
    - कृषि क्षेत्र: वर्ष 2022-23 में 10% की वृद्धि (वर्तमान मूल्यों पर), जबकि वर्ष 2021-22 में 14% की वृद्धि हुई (2021-22 में वृद्धि निम्न आधार पर थी)।
    - विनिर्माण क्षेत्र: वर्ष 2022-23 में 22% की वृद्धि हुई थी।
    - सेवा क्षेत्र: वर्ष 2022-23 में 12% की वृद्धि हुई थी।
    - अर्थव्यवस्था में योगदान (स्थिर मूल्यों पर): कृषि (24%), विनिर्माण (30%), सेवाएँ (46%)।
  - प्रति व्यक्ति GSDP:
    - **वर्ष 2022-23 में (वर्तमान मूल्यों पर) 96,193 रुपए** अनुमानित , जिसमें **वर्ष 2017-18 से 8%** की वार्षिक वृद्धि हुई थी।

Figure 1: Growth in GSDP and sectors in Uttar Pradesh at constant prices (2011-12)

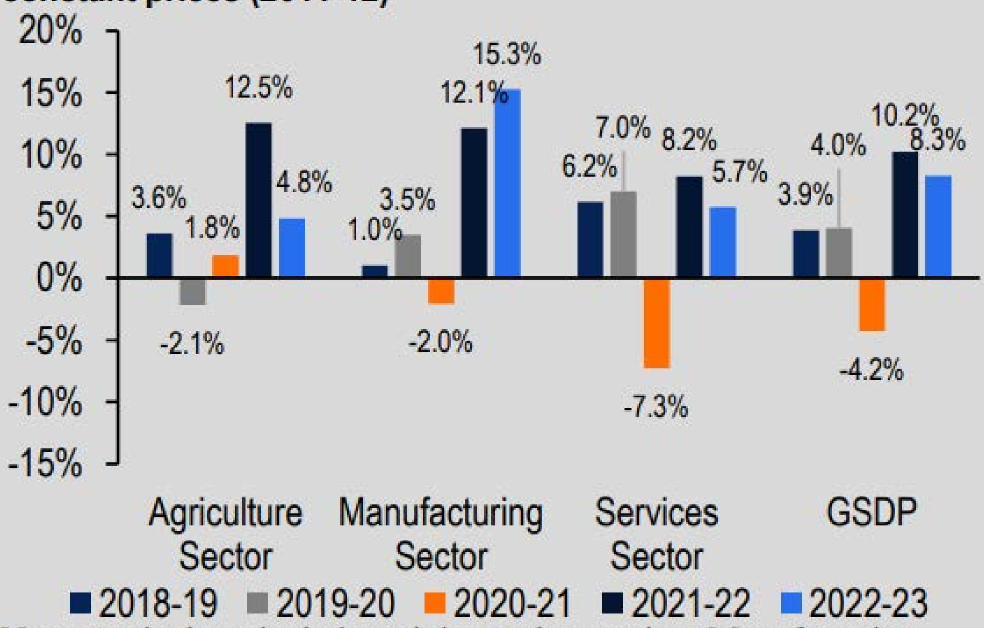

Note: Agriculture includes mining and quarrying; Manufacturing includes construction and electricity. These numbers are as per constant prices (2011-12) which implies that the growth rate is adjusted for inflation.

- **वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर GSDP वृद्धि दरें थीं:** 4.7% (2012-13), 5.8% (2013-14), 4.0% (2014-15), 8.8% (2015-16), 11.4% (2016-17), 4.6% (2017-18), 6.3% (2018-19), 3.8% (2019-20), -5.5% (2020-21) और 4.2% (2021-22)।
- **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी:** राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी या तो स्थिर है या घट रही है। एक **ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिये** यूपी की हिस्सेदारी बढ़कर 20% होनी चाहिये।
  - वर्तमान मूल्यों पर भारत की GDP वर्ष 2016-17 में 153.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 236.64 लाख करोड़ रुपए हो गई थी।
  - भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 8.4% से घटकर वर्ष 2021-22 में 7.9% हो गई थी।
- **प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता अंतर** : भारत और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की लगभग 50% थी, लेकिन वर्ष 2021-22 तक यह घटकर **45.87% रह गई थी** । यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ तालमेल नहीं रखा है।
- **वैकल्पिक विकास परिदृश्यों के तहत वर्ष 2026-27 में अनुमानित GSDP को बिंदुओं में व्यवस्थित किया गया है:**
  - **बहुत अधिक (CAGR = 20%)** : 42.5 लाख करोड़ रुपए
  - **उच्चतम (CAGR = 15%)** : 35.8 लाख करोड़ रुपए
  - **मध्यम (CAGR = 12%)** : 32.2 लाख करोड़ रुपए
  - **सामान्य (CAGR = 10%)** : 30 लाख करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- यह एक **गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है,** जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये किया गया है।
- यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के समक्ष **प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।**
  - **यह मुद्रास्फीति, माइक्रोफाइनेंस और औद्योगिक उत्पादन** जैसे आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है।
- प्रशासनिक, संभार-तंत्र, योजना और बजटीय उद्देश्यों के लिये **नीति आयोग EAC-PM के लिये नोडल एजेंसी** के रूप में कार्य करता है।
- **आवधिक रिपोर्ट:**
  - वार्षिक आर्थिक परिदृश्य
  - अर्थव्यवस्था की समीक्षा

मदरसों की शिक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** ने **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए भारत में मदरसा शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

- **NCPCR की चिंताएँ:** NCPCR ने **सर्वोच्च न्यायालय** को सूचित किया कि मदरसा शिक्षा व्यापक नहीं है और यह **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009** के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है ।
- मदरसों में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकें कथित तौर पर '**इस्लाम की सर्वोच्चता**' को बढ़ावा देती हैं, जो **धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक सिद्धांतों** और **RTE आवश्यकताओं के विपरीत** है।
- **उच्च न्यायालय का निर्णय:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004** को '**असंवैधानिक**' घोषित किया।

नोट :

- यह अधिनियम '**धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत**' तथा **संविधान के अनुच्छेद 14** के तहत **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन** करता पाया गया।
- **मदरसा:** मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
  - आरंभ में, इस्लाम में **मस्जिदें** शैक्षणिक संस्थानों के रूप में संचालित होती थीं, लेकिन 10 वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
  - सबसे प्रारंभिक मदरसे **खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया** (आधुनिक पूर्वी व उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में पाए गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
  - **सत्र 2018-19** तक, भारत में **24,010 मदरसे थे: 19,132 मान्यता प्राप्त** और **4,878 गैर-मान्यता** प्राप्त।
    - मान्यता प्राप्त मदरसे **राज्य बोर्ड के अधीन** हैं; **गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा** और **दारुल उलूम देवबंद** जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।
- देश के **60% मदरसे उत्तर प्रदेश** में हैं। जिनमें **11,621 मान्यता** प्राप्त और **2,907 गैर-मान्यता** प्राप्त मदरसे हैं।
- **भारत में मदरसों की श्रेणियाँ**
- **मदरसा दरसे निज़ामी:** सार्वजनिक दान के रूप में संचालित होते हैं और इन्हें राज्य स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक नहीं है
  - **मदरसा दरसे आलिया:** राज्य मदरसा शिक्षा बोर्डों से संबद्ध (जैसे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड)।
- राज्य सरकारों द्वारा शासित, शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
- वर्ष 2023 में लगभग **1.69 लाख छात्र** उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष) में उपस्थित हुए।
- **मदरसों के लिये वित्तपोषण:** वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों से आता है।
- **केंद्र सरकार की योजना: मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM)** मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **SPEMM के अंतर्गत उप-योजनाएँ:**
  - मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM
  - अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचना विकास (IDMI
- अप्रैल 2021 में SPEMM को **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** से **शिक्षा मंत्रालय** में स्थानांतरित कर दिया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- NCPCR एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 2007 में **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी।
- **यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान एवं बाल अधिकारों पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य** के अनुरूप हों।
- **यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के अंतर्गत बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है ।
- यह **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO)** के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

सरयू नदी में बाढ़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सरयू नदी** में आई बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में गंभीर आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे परिवहन और स्थानीय समुदाय प्रभावित हुए।

मुख्य बिंदु

- **सरयू नदी**
  - सरयू एक नदी है जो **उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश** से होकर बहती है।
  - इस नदी का प्राचीन महत्त्व है क्योंकि इसका उल्लेख **वेदों** और **रामायण** में मिलता है।
  - यह नदी **करनाली और महाकाली** नदियों के संगम पर बनती है । यह **गंगा** नदी की एक सहायक नदी है ।
- **बलिया ज़िला**
  - बलिया उत्तर प्रदेश के सुदूर उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी सीमा **मऊ, देवरिया, बिहार और गाज़ीपुर** से लगती है, तथा यह गंगा और **घाघरा नदियों के संगम पर स्थित** है ।
  - यह शहर **वाराणसी** से 135 किलोमीटर दूर है, गंगा नदी **बलिया को बिहार से अलग करती है, और घाघरा नदी इसे देवरिया से अलग** करती है।
  - एक मान्यता यह है कि शहर का नाम ऋषि **वाल्मीकि** के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहीं रहते थे, हालाँकि उनका मंदिर अब मौजूद नहीं है।
  - एक अन्य मान्यता के अनुसार इसका नाम स्थानीय मिट्टी **'बलुआ' (रेतीली मिट्टी) से जुड़ा है,** शहर का मूल नाम 'बालियान' था, जो बाद में बदलकर 'बलिया' हो गया।

13 राज्यों से 97% अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2022 में **अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ 97.7% अत्याचार** 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें **उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में** ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

प्रमुख बिंदु

- **वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध अत्याचार:**
  - अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 97.7% (52,866 मामलों में से 51,656) 13 राज्यों में दर्ज किये गए।
  - उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले (12,287 या 23.78%) दर्ज किये गए।
- **वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजातियों (ST) के विरुद्ध अत्याचार:**
  - अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 98.91% मामले 13 राज्यों (कुल 9,735 मामले) में दर्ज किये गए।
  - मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले (2,979 या 30.61%) थे।
  - इसके बाद राजस्थान में 2,498 मामले (25.66%) और ओडिशा में 773 मामले (7.94%) दर्ज किये गए।
- **दोषसिद्धि दर:**
  - **SC/ST अधिनियम, 1989** के तहत मामलों में दोषसिद्धि दर वर्ष 2020 में 39.2% से घटकर वर्ष 2022 में 32.4% हो गई।
- **SC/ST संरक्षण उपाय:**
  - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं।
  - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में SC/ST अपराधों से निपटने के लिये विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 :

- **SC ST अधिनियम, 1989 संसद** द्वारा पारित एक अधिनियम है जो एससी एवं SC समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करने तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिये बनाया गया है।

- यह अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता को भी स्वीकार करता है कि अनेक उपाय करने के बावजूद **अनुसूचित जातियों** / **अनुसूचित जनजातियों** को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।
- यह अधिनियम **संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन)** और **21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)** में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमज़ोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।
- संशोधित **SC/ST अधिनियम, 2018 में** प्रारंभिक जाँच अनिवार्य नहीं है औरSC/ST पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश (MP) और उत्तर प्रदेश (UP) सरकारों ने **8 गीगावाट** (GW) **सौर ऊर्जा संयंत्र** विकसित करने के लिये साझेदारी की है, जो दो भारतीय राज्यों के बीच इस तरह का पहला महत्त्वपूर्ण **नवीकरणीय ऊर्जा** सहयोग है।

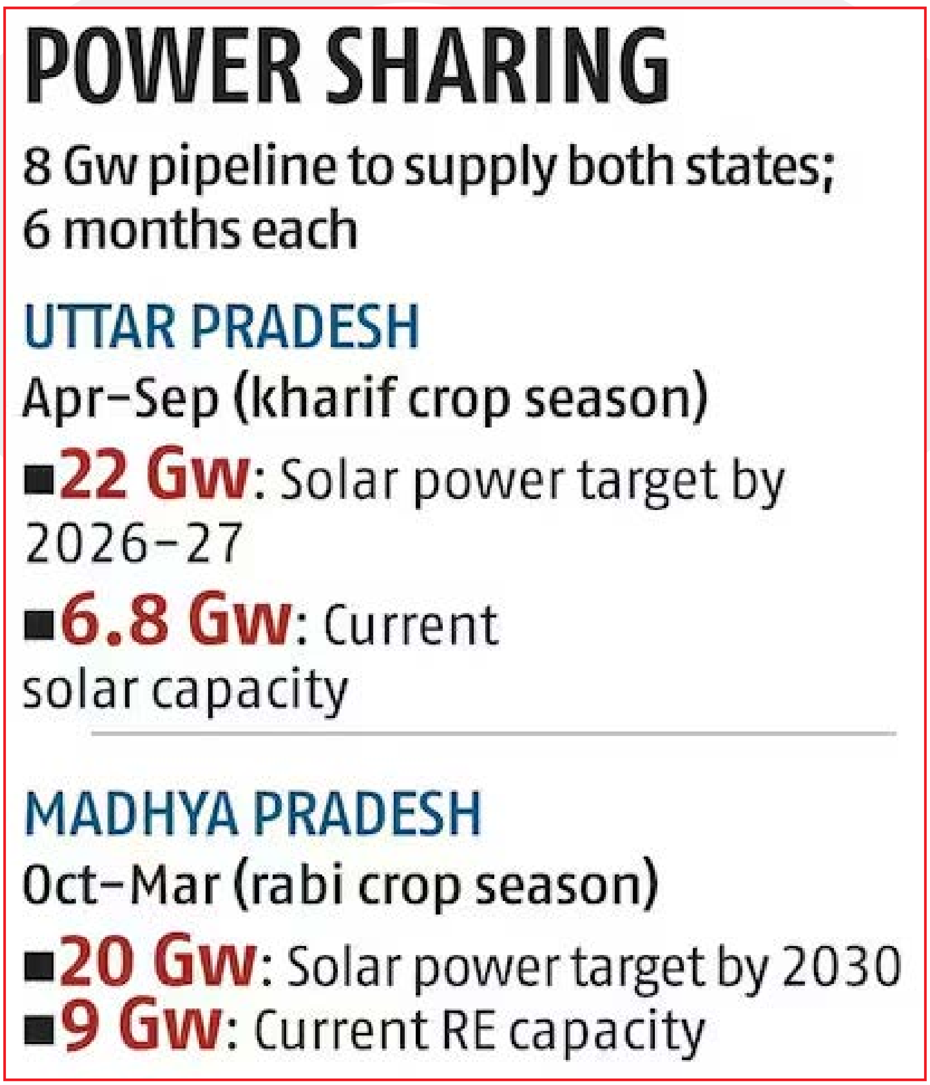

नोट :

मुख्य बिंदु

- **सहयोग अवलोकन:**
  - उत्पादित बिजली को दोनों राज्यों के बीच साझा किया जाएगा, **जो हर छह महीने में** उनकी अधिकतम मांग के मौसम के अनुसार होगा।
  - **मध्य प्रदेश:** अधिकतम मांग **अक्तूबर से मार्च तक होती है,** जो रबी फसल के मौसम के साथ मेल खाता है।
  - **उत्तर प्रदेश** : अधिकतम मांग **अप्रैल से सितंबर के बीच होती है,** जो खरीफ फसल के मौसम के साथ मेल खाती है।
  - सौर ऊर्जा का वितरण मौसमी मांग पैटर्न के आधार पर किया जाएगा।
- **परियोजना चरण और विकास:**
  - प्रथम चरण में **2 गीगावाट की परियोजना विकसित की जाएगी, जिसके लिये मोरेना (म.प्र.) को** संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
- **राज्य नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:**
  - **मध्य प्रदेश: वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** प्राप्त करने का लक्ष्य**, जो वर्तमान 9 गीगावाट है।**
  - **उत्तर प्रदेश: वर्ष 2026-27 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता का** लक्ष्य, जो वर्तमान **6.8 गीगावाट है।**

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में **खाद्य पदार्थों में मिलावट** से निपटने के लिये नए निर्देश जारी किये।

मुख्य बिंदु

- **स्वामियों के नामों का प्रदर्शन** :
  - सभी रेस्तरां और भोजनालयों को अपने संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख कर्मचारियों के नाम और पते प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे।
  - इस कदम का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- **खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन** :
  - नए प्रदर्शन नियमों के अनुपालन को लागू करने के लिये **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** में संशोधन किया जाएगा।
  - खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए राज्यव्यापी सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।
- **CCTV स्थापना अनिवार्य** :
  - सभी भोजनालयों, होटलों और ढाबों को भोजन कक्ष और प्रतिष्ठान के अन्य भागों में **CCTV कैमरे लगाने होंगे।**
  - ऑपरेटरों की जिम्मेदारी CCTV फुटेज को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और अनुरोध किये जाने पर उसे कानून प्रवर्तन को उपलब्ध कराने की है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता** :
  - ये निर्देश खाद्य पदार्थों में मिलावट के उन मामलों पर राज्य की प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं, जहाँ खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट और अन्य संदूषक पाए गए थे।
  - भोजन तैयार करने और परोसने वाले सभी कर्मचारियों के लिये मास्क और दस्ताने का अनिवार्य उपयोग सहित सख्त स्वच्छता प्रथाओं को लागू किया जाएगा।

FSSAI

- **वर्ष** 2006 में स्थापित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिये भारत का प्राथमिक कानून है। यह खाद्य उत्पादों के लिये मानक निर्धारित करता है और उनके **निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री** और **आयात की देखरेख करता है** । अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

नोट :

- **FSSAI अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **एकीकृत खाद्य कानून :** यह विभिन्न खाद्य कानूनों को एक एकीकृत प्रणाली में समेकित करता है, तथा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिये स्पष्ट मानक स्थापित करता है।
  - **राज्य सरकारों को शक्तियाँ:** अधिनियम **राज्य सरकारों को** स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिये नियम बनाने और उपाय करने की अनुमति देता है, जैसे निरीक्षण करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना।
  - **खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण :** खाद्य मानकों को निर्धारित करने, खाद्य सुरक्षा ऑडिट करने और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये इस अधिनियम के तहत **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) बनाया गया था।**
- यह अधिनियम **केन्द्रीय और राज्य दोनों प्राधिकरणों को** खाद्य सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखने तथा अनुपालन न होने की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये जारी किये गए निर्देश।

उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर सुविधा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, यह घोषणा की गई कि **उत्तर प्रदेश** में अपनी पहली **सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई** स्थापित होने वाली है, जो भारत के तकनीकी क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है और राज्य को देश के **डिजिटल परिवर्तन** में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य बिंदु

- **भारत-अमेरिका सेमीकंडक्टर साझेदारी :**
  - यह घोषणा **चिप निर्माण** पर सहयोग के लिये भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित **समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद की गई है।**
  - सेमीकंडक्टर (अर्द्धचालक)विकास में **भारत -अमेरिका साझेदारी** का भारत की तकनीकी प्रगति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
- **डिजिटल परिवर्तन का महत्त्व:**
  - सेमीकंडक्टर भारत के **डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और दैनिक जीवन में तेज़ी से दिखाई देने लगेंगे।
  - यह विकास भारत की प्रगति के लिये **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने** की एक व्यापक पहल का हिस्सा है , जो इसका लाभ **ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों** तक पहुँचाएगा ।
- **साइबर सुरक्षा फोकस :**
  - अर्धचालक उद्योग को **साइबर सुरक्षा** को मज़बूत करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि युद्ध में भौतिक हमलों से **साइबर क्षेत्र** में बदलाव आया है ।
- **आर्थिक प्रभाव :**
  - इस सुविधा की स्थापना से **व्यापक आर्थिक विकास** में योगदान मिलेगा तथा भारत की अर्थव्यवस्था को **लचीला** तथा प्रबल विकास पथ पर अग्रसर बताया जाएगा ।
  - भारत -**अमेरिका द्विपक्षीय संबंध** अब पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं, जो भारत के चल रहे आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के लिये महत्त्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी करते हुए विभिन्न ज़िलों को **येलो** और **ऑरेंज अलर्ट** पर रखा है।

- यह चेतावनी मुख्य रूप से **बंगाल की खाड़ी** के उत्तर-पश्चिम में बने **निम्न दाब के क्षेत्र** के कारण है, जो अब **चक्रवाती परिसंचरण** में परिवर्तित हो गया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहा है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **अत्यधिक वर्षा की चेतावनी वाले ज़िले:** कुल **24 ज़िलों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी** जारी की गई है। इनमें शामिल हैं: बाँदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर, बहराईच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर,
  - इन ज़िलों में IMD ने अत्यधिक वर्षा की संभावना जताते हुए **येलो अलर्ट** जारी किया है।
- अत्यधिक वर्षा के लिये आठ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये ज़िले हैं संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती।
- इन क्षेत्रों के निवासियों को अत्यधिक वर्षा और संभावित व्यवधानों के लिये तैयार रहना चाहिये।

रंग-कोडित मौसम चेतावनी

- इसे IMD द्वारा जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य **गंभीर** अथवा **खतरनाक मौसम** से पूर्व **लोगों को सचेत करना** है जिससे **नुकसान**, **व्यापक व्यवधान** या जीवन को खतरा होने की संभावना होती है ।
- **IMD 4 रंग कोड का उपयोग करता है:**
  - **ग्रीन (सब ठीक है):** कोई सलाह जारी नहीं की गई है।
  - **येलो (सावधान रहें):** येलो अलर्ट कई दिनों तक खराब मौसम का संकेत देता है। यह बताता है कि मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान आ सकता है।
  - **ऑरेंज (तैयार रहें): ऑरेंज अलर्ट** अत्यंत खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है, जिससे सड़क और रेल मार्ग बंद होने से आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होने और विद्युत् आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है।
  - **रेड (कार्यवाही करें):** जब अत्यंत खराब मौसम की स्थिति के कारण यात्रा और विद्युत् बाधित होने लगती है तथा जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो **रेड अलर्ट** जारी किया जाता है।
- ये चेतावनियाँ **सार्वभौमिक प्रकृति** की होती हैं तथा **बाढ़** के दौरान भी जारी की जाती हैं, जो **अत्यधिक वर्षा** के परिणामस्वरूप **भूमि/नदी में जल की मात्रा पर निर्भर** करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, जब किसी नदी का जल '**सामान्य**' स्तर से ऊपर या '**चेतावनी**' और '**खतरे**' के स्तर के बीच होता है, तो **येलो अलर्ट** जारी किया जाता है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :